

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/5033

दिनांक: 21.07.2024

आदेश

राज्य के समस्त जिलों की पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र ही सम्पन्न कराये जाने हैं। आयोग के पत्रांक 128 दिनांक 02.01.2026 तथा पत्रांक 1267 दिनांक 03.02.2026 से निर्वाचन से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को गृह जिलों में/लम्बे समय तक पदस्थापन के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की कट ऑफ डेट एवं स्थानान्तरण किये जाने की तिथि संशोधित कर आगामी आम चुनावों के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में क्रमशः पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। इन निर्वाचनों के संचालन में सरकारी कार्मिकों, विशेषकर संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है ताकि निर्वाचनों के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारीगण रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी), थानाधिकारी तथा उपनिरीक्षक के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण है।

निर्वाचनों के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष एवं असंदिग्ध होना आवश्यक है। अतः समग्र परिस्थितियों का आकलन कर राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश जारी करता है—

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक,

(a) संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी), तथा तहसीलदार के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे।

(b) आयुक्त एवं उपायुक्त, नगरनिगम/नगरपरिषद, सचिव नगर सुधार न्यास, विकास प्राधिकरण के उपायुक्त एवं उससे उच्चतर अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस नगरीय क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह नगरीय क्षेत्र है।

(c) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है।

(d) उपरोक्त खण्ड (a), (b) व (c) में वर्णित अधिकारी दिनांक 30.11.2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में बिन्दु संख्या (a) में वर्णित अधिकारी संबंधित जिले में, बिन्दु संख्या (b) में वर्णित अधिकारी संबंधित नगरीय क्षेत्र में एवं बिन्दु संख्या (c) में वर्णित अधिकारी संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेंगे, जहां पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं।

उपरोक्त मापदण्ड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे। स्थानान्तरित करने की कार्यवाही दिनांक 15.08.2026 तक आवश्यक रूप से संपन्न कर ली जायें।

इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करे जिसके विरुद्ध गत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये हों।

चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् निर्वाचन से किसी भी रूप से जुड़े हुए किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जाये किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो अथवा किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदण्ड में शिथिलता चाहे तो ऐसे मामलों को राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाये।

भवदीय,


21/7/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

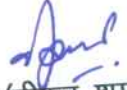
दिनांक: 21.07.2026

क्रमांक: प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/5034-47

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।


(नीरज शर्मा)
सहायक सचिव